

क्रमांक-प.ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/112

दिनांक 23/11/19

आवेश -

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रथम श्रेणी का पर्योग करते हुये निम्नलिखित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं -

क्र.सं.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्रीमति रजनी पुत्री श्री भोनेलाल	रफाई कर्मचारी	वेवली	अजमेर
2	श्रीमति लक्ष्मी पुत्री श्री चन्द्रप्रकाश	रफाई कर्मचारी	कोकडी	वेवली

उक्तानुसार कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावे।
नोट -

- 01 स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन ही तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा अनित्य जिम्मेदारी होगी।
- 02 स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
- 03 यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- 04 यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किरी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
- 05 वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त रफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक-प.ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/113-132

दिनांक 23/11/19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त
04. महापौर/अध्यक्ष/सभापति/आयुक्त/अधिकाारी/नगर निगम/परिषद/पालिका
05. संबंधित कर्मचारी.....
06. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. विरन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)